2005: CGHC:2821

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ न्यायालय उच्च न्यायालय, बिलासपुर

W.P.NO. 2327 / 2004

याचिकाकर्ता

एम. आर. सार्थी,
पिता स्वर्गीय श्री एस. आर. सार्थी,
आयु लगभग 59 वर्ष,
पदस्थ — विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आदिवासी विकास विभाग,
डी. के. एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण

1. **भारत संघ**, द्वारा
   सचिव,
   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
   नई दिल्ली ।

2. **छत्तीसगढ़ राज्य**, द्वारा
   मुख्य सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन,
   सामान्य प्रशासन विभाग,
   डी. के. एस. भवन, रायपुर
   (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका

2005: CGHC:2821

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर
(युगलपीठ)

न्यायपीठ : माननीय श्री ए. के. पट्नायक, मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

रिट याचिका सं. 2327 / 2004

विचारार्थ आदेश

हस्ताक्षरित /-

न्यायाधीश
25/09/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री ए. के. पट्नायक, मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित /-
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice)

सुनवाई हेतु सूचीबद्ध -

06/09/2008

हस्ताक्षरित /-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

युगलपीठ: माननीय श्री ए. के. पट्नायक, मुख्य न्यायाधीश तथा

2005: CGHC:2821

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 2327 / 2004

याचिकाकर्ता : **एम. आर. सार्थी**

बनाम

उत्तरवादीगण: **भारत संघ एवं अन्य**

श्री मनीन्द्र श्रीवास्त, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित वर्मा के साथ, याचिकाकर्ता की ओर से

श्री प्रमोद वर्मा , अतिरिक्त महाधिवक्ता , उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(दिनांक 06/09/2005 को पारित)

1.याचिकाकर्ता एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो संबंधित समयावधि में दिनांक 22.02.1994 से 28.01.1996 तक अतिरिक्त कलेक्टर, दंतेवाड़ा, जिला– बस्तर के पद पर पदस्थ थे। तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन ने दिनांक 27.12.1997 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना जारी किया था, जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि उन्होंने घोर अवचार एवं संदिग्ध निष्ठा का प्रदर्शन किया है, जो अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1) एवं 3(3)(1) का अतिक्रमण है। याचिकाकर्ता पर यह आरोप था कि उन्होंने शासकीय अधिकारी पद पर रहते हुए, मध्यप्रदेश (आदिवासी जनजाति) (वृक्षों के हित) का संरक्षण अधिनियम, 1956 (इसमें इसके पश्चात सुविधा के लिए '1956 का अधिनियम' निर्दिष्ट किया जाएगा) के अतिक्रमण में 2111 वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की। याचिकाकर्ता ने उक्त कारण बताओ सूचना का उत्तर दिनांक 01.01.2004 (अनुलग्नक P/7) प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, दिनांक 24.12.2003 को याचिकाकर्ता को एक आरोप पत्र तामील किया गया, जिसमें आरोपों के कथन सहित, सुसंगत दस्तावेजों की सूची तथा तथा उन साक्षियों के नाम संलग्न थे, जिन्हें आरोपों के समर्थन में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित था, और जिनके आधार पर आरोप सिद्ध किए जाने थे। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप संख्या 1

यह था कि उन्होंने कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के साथ दुरभिसंधि कर 1956 के अधिनियम की धारा 3 का अतिक्रमण करते हुए वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान की। साथ ही, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (इसमें इसके पश्चात '1959 की संहिता' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 240 एवं 241 का उल्लंघन करते हुए प्रतिषिद्ध वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा अनुदत्त की, जिससे प्राइवेट व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया।

2. याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन क्रमांक 61/2004 प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 24.12.2003 की आरोप पत्र को अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना की गई। इस प्रकार कि ,अधिकरण ने दिनांक 09.07.2004 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन का निराकरण करते हुए उत्तरवादियों को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच को उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पूर्ण करें। इस प्रकार , याचिकाकर्ता द्वारा आरोप पत्र को अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान याचिका के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है तथा दिनांक 04.12.2003 की आरोप पत्र को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता द्वारा उन राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों पर आधारित हैं, जिनका उल्लेख याचिका के अनुच्छेद क्रमांक 5.10 तथा 5.11 में किया गया है जिसमें अभिकथित किया गया है कि, याचिकाकर्ता अतिरिक्त कलेक्टर, दंतेवाड़ा के पद पर एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उपरोक्त राजस्व प्रकरणों के आवेदकों को ऐसे वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान की, जिनकी मूल्य राशि ₹5,000/– से अधिक थी, जो कि 1956 के अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का अतिक्रमण है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप संख्या 2 यह है कि उपरोक्त राजस्व प्रकरणों के आवेदकों को अनुज्ञा प्रदान करते समय, 1959 की संहिता की धारा 240 एवं 241 में अंतर्विष्ट नियमों की अवज्ञा की गई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आरोप पत्र में उल्लिखित उपरोक्त राजस्व प्रकरणों के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पारित आदेश न्यायायिककल्प कृत्य के अंतर्गत पारित किए गए हैं, जो कि 1959 की संहिता तथा 1956 के अधिनियम के अंतर्गत अपील योग्य थे, किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा पारित उक्त आदेशों के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। यह भी निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र सी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है, और इस प्रकार याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दंड अधिरोपित करने हेतु में

अनुशासनात्मक प्राधिकारी बाहरी कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं, जो कि विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों को स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी उन्हें अवचार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधि का अन्याथाग्रहण को अवचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार आरोप पत्र में कहीं भी यह अभिकथन नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किसी बाह्य प्रतिफल के लिए पारित किये गए थे। साथ ही, यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ सूचना के उत्तर में यह विस्तारपूर्वक उल्लेख किया था कि उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा भी इसी प्रकार के आदेश पारित किए गए थे, फिर भी उन्हें न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही आरोप पत्र प्रदान किया गया, जो यह निदर्सन करता है कि याचिकाकर्ता के साथ विभेद व्यवहार किया गया है, जो कि असद्भावपुर्वक प्रेरणा से युक्त कार्रवाई का परिणाम है। आरोप पत्र में वर्णित अभिकथन पूर्णतः अस्पष्ट एवं निराधार हैं, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसा विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है जिसे अवचार का कृत्य माना जा सके। यह भी निवेदन किया गया कि यदि न्यायायिककल्प कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में हुआ है, आरोप पत्र जारी किए जाते हैं, तो इससे ऐसे अधिकारियों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इन आधारों पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी अनुलग्नक P/2 की आरोप पत्र को अभिखंडित किया जाना चाहिए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों का उत्तर देते हुए, उत्तरवादी /राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थे तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा प्रारंभिक चरण में ही अनुशासनिक कार्यवाही में हस्तक्षेप न करना पूर्णतः उचित था। उन्होंने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को उनके विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही में उन्हें अपने प्रतिरक्षण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए थी । यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के द्वारा अनेक राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश 1956 के अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का अतिक्रमण करते हैं, जिनमें वर्णित है कि एक वर्ष में उस लकड़ी के विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसकी मूल्य राशि ₹5,000/- से अधिक हो, सिवाय इसके कि कलेक्टर यह माने कि उक्त सीमा से अधिक मूल्य की लकड़ी की बिक्री तत्कालीन अत्यावश्यक व्यय पूरा करने हेतु अनिवार्य है।

6. अर्जी के पैरा 5.9 में निर्दिष्ट राजस्व प्रकरणों के परिशीलन से यह प्रतित होता है कि इन सभी राजस्व प्रकरणों जो कि (132-A 63/1993-94, 12-A 63/1992-93, 9-A 63/1994-95, 158-A 63/1994-95, 111-A 63/1994-95, 109-A 63/1994-95, 110-A 63/1994-95, 154-A 63/1994-95, 112-A

63/1989–90 एवं 3/A–63/1989–90) के आवेदकों ने विवादित भूमि अन्य जनजातीय स्वामियों से क्रय की है।

7. राजस्व प्रकरण संख्या 132–A 63/1993–94 में आवेदक महेन्द्र कर्मा उर्फ़ गड़ा कर्मा ने दिनांक 10.02.1994 को एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से 7.35 एकड़ भूमि ₹22,050/– प्रतिफल में तथा 33 वृक्ष (24 सागौन के वृक्ष, 2 बीजा के वृक्ष एवं 7 महुआ के वृक्ष) ₹1,31,600/– में इनके जनजातीय स्वामियों से क्रय करने के पश्चात् दिनांक 28.04.1994 को अपने भूमि पर स्थित उक्त वृक्षों की कटाई एवं विक्रय कि अनुज्ञा हेतु आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने प्रभागीय वनाधिकारी, जगदलपुर तथा संबंधित उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) की रिपोर्ट अभिप्राप्ति करने के पश्चात् दिनांक 24.10.1994 के आदेश द्वारा 27 वृक्षों (25 सागौन के वृक्ष एवं 2 बीजा के वृक्ष) की कटाई कर वनों विभाग को विक्रय करने की अनुज्ञा अनुदत्त की। आवेदक को अपनी निजी आवश्यकता हेतु पाँच घन मीटर लकड़ी उपयोग करने का भी अनुज्ञात प्रदान किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसी प्रकार, राजस्व प्रकरण संख्या 12–A 63/1992–93 में आवेदक घसीराम ने दिनांक 21.03.1988 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से अन्य जनजातीय स्वामियों से 3.78 एकड़ भूमि 4,000/– रुपये में क्रय की जिसका निष्पादन पकलू, सुदरू एवं लखमा द्वारा किया गया तथा 16 सागौन के वृक्ष एवं 01 अदन वृक्ष की कटाई कर वन विभाग को विक्रय करने अनुज्ञा हेतु आवेदन किया। हालांकि, उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख में उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों का किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया । तत्कालीन कलेक्टर ने संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से रिपोर्ट मांगी । तथापि, उक्त आवेदन की लंबितता के दौरान आवेदक के पक्ष में जनजातीय स्वामी पाकलू द्वारा दिनांक 11.10.1994 को एक अन्य विक्रय विलेख निष्पादन किया गया, इस विक्रय विलेख के माध्यम से जो भूमि पर 12 सागौन के वृक्ष थे तथा पूर्व में उनका विक्रय हो चूका था उनका विक्रय पुनः 45,000/– रुपये के प्रतिफल में कर दिया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर 23 वृक्ष खड़े थे। याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.06.1995 के आदेशांक द्वारा 10 सागौन के वृक्षों की कटाई कर वन विभाग को विक्रय करने हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की।

9. इसी प्रकार, राजस्व मामला क्रमांक 9–A 63/1994–95 के आवेदक अर्थात घासीराम ने अपनी 3.78 एकड़ भूमि पर स्थित दो वृक्षों को हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे उसने जनजातीय स्वामियों से दिनांक 21.03.1988 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय

किया था क्योंकि वृक्ष वर्ष 1992–93 में तूफ़ान के कारण गिर गए थे और आवेदक ने सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी से उन वृक्षों के बदले में भुगतान किए जाने का अनुरोध किया। उक्त आवेदन पर संज्ञान लेते हुए दक्षिण बस्तर के प्रभागीय वन अधिकारी ने दिनांक 16.03.1994 के पत्र (मेमो) के माध्यम से कलक्टर को सूचित किया कि 2 सागौन के वृक्षों को वन डिपो, दंतेवाड़ा में निर्वासित किया जा चुका है, अतः उक्त वृक्षों के संबंध में आवेदक को भुगतान किए जाने हेतु समुचित आदेश पारित किया जाए। सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रदत्त उक्त जानकारी के आधार पर उपर्युक्त मामला दर्ज किया गया। मामले की लंबितता के दौरान जनजाति पकलू ने आवेदक घासीराम के पक्ष में 12 सागौन के वृक्षों के लिए 55,000/– रुपये के प्रतिफल में एक अन्य विक्रय विलेख निष्पादित किया। कलेक्टर ने दिनांक 21.11.1994 के आदेश द्वारा वन विभाग को उक्त आवेदक अर्थात घासीराम को भुगतान करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी ।

10. राजस्व मामला क्रमांक 158–A 63/1994–95 में आवेदक भूषण सिंह ने 3.77 एकड़ भूमि इनके जनजातीय स्वामी लखन सिंह गोंड से 4,000/– के प्रतिफल पर दिनांक 27.07.1988 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से, 1.33 एकड़ भूमि जनजातीय स्वामियों हांडो एवं हिरमा से 2,000/– के प्रतिफल पर दिनांक 04.07.1988 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से, 5.76 एकड़ भूमि जनजातीय स्वामीयों मंगलू, चमरू एवं लखमा से ₹10,000/– के प्रतिफल पर दिनांक 26.10.1988 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से तथा 2.31 एकड़ भूमि पांडु गोंड की विधवा बोडो से ₹4,000/– के प्रतिफल पर दिनांक 26.10.1988 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया । तत्पश्चात, उन्होंने अपनी भूमि पर स्थित वृक्षों का कटाव कर उन्हें वन विभाग को विक्रय करने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन किया। तत्कालीन कलक्टर ने दिनांक 21.01.1992 के आदेश द्वारा आवेदक का आवेदन इस आधार पर ख़ारिज कर दिया कि विक्रय विलेखों में लकड़ी के वृक्षों के विक्रय का कोई वर्णन नहीं किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को भी आयुक्त द्वारा दिनांक 30.11.1992 को ख़ारिज कर दिया गया किन्तु इस प्रकार कि, राजस्व मंडल ने दिनांक 26.08.1994 के आदेश द्वारा कलक्टर एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर दिया। तत्पश्चात, आवेदक ने दिनांक 05.06.1995 को याचिकाकर्ता के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन की लंबितता के दौरान वृक्षों के जनजातीय स्वामियों अर्थात मदका, लखमा, छप्पे, स्व. मगडू, कामा तथा एक अन्य व्यक्ति द्वारा दिनांक 20.12.1995 को आवेदक के पक्ष में एक अन्य विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने 31 सागौन के वृक्ष, 1 बीजा का वृक्ष, 2 के टिनसा वृक्ष तथा 5 मुंडी के वृक्ष 80,000/– के प्रतिफल पर विक्रय किए, जिनका बाजार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मूल्य 2,04,000/– दर्शित था । तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने विक्रेता मदका एवं मुरकी के कथनों अभिलेखन करने के उपरांत दिनांक 05.01.1996 के आदेश द्वारा उनकी भूमि पर स्थित 16 सागौन वृक्षों को विक्रय करने की अनुज्ञा अनुदत्त की, जिसके प्रतिफलस्वरूप वन विभाग द्वारा 4,05,355/– की राशि भुगतान की गई।

11. उसी प्रकार, राजस्व मामला क्रमांक 111–A 63/1994–95 में आवेदक अर्थात दिगपाल शाह ने चैतू, मंडू तथा एक अन्य जनजातीय स्वामी से 1,00,000/– रूपए के प्रतिफल पर 5.28 एकड़ भूमि का क्रय किया तथा जिस पर 34 वृक्ष भी स्थित थे । उक्त विक्रय विलेख में भूमि का बाजार मूल्य 1,51,000/– रुपये तथा वृक्षों का मूल्य 18,500/– रुपये वार्णित किया गया था। तत्पश्चात, आवेदक ने याचिकाकर्ता के समक्ष 21 सागौन के वृक्ष एवं एक अदन वृक्ष का कटाव कर उन्हें वन विभाग को विक्रय करने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों तथा सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी से रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के पश्चात दिनांक 12.07.1995 को 15 टीक वृक्षों का कटाव कर उन्हें वन विभाग को विक्रय करने की अनुज्ञा अनुदत्त की। तत्पश्चात, आवेदक दिगपाल शाह को दिनांक 12.07.1995 को प्रदत्त अनुज्ञा के अनुसार 15 टीक वृक्षों के मूल्य के रूप में 9,39,168/– रुपये की धनराशी संदत्त की गयी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. राजस्व मामला क्रमांक 109–A 63/1994–95 में आवेदक शिशुपाल शाह ने 1,00,000/– रुपये के प्रतिफल पर 4.20 एकड़ भूमि तथा उस पर विद्यमान 28 वृक्षों सहित उक्त भूमि के जनजातीय स्वामी से क्रय किया । विक्रय विलेख में भूमि का बाजार मूल्य 10,600/– रुपये तथा वृक्षों का मूल्य 1,32,000/– रुपये वर्णित किया गया था । तत्पश्चात, उसने 19 सागौन के वृक्षों एवं 7 अन्य वृक्षों की कटाव कर उन्हें वन विभाग को विक्रय करने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात , याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.01.1996 के आदेश द्वारा आवेदक को 13 सागौन वृक्षों के कटाव की अनुज्ञा अनुदत्त की गयी । याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 27.01.1996 को अनुदत्त की गई अनुज्ञा के अनुसार वृक्षों कटाव हुआ, और 13 वृक्षों के मूल्य के रूप में वन विभाग द्वारा दिनांक 26.09.1996 को आवेदक को 4,83,457/– रुपये की धनराशि संदत्त की गयी ।

13. राजस्व मामला क्रमांक 109–A 63/1994–95 में आवेदक शिशुपाल शाह ने 1,25,000/– रुपये के प्रतिफल पर 2.35 एकड़ भूमि तथा उक्त भूमि पर विद्यमान 34 वृक्षों सहित उक्त भूमि के जनजातीय स्वामियों अर्थात बुधरी हदमा की विधवा मुरिया तथा सुक्का से

2005: CGHC:2821

क्रय किया । विक्रय विलेख में भूमि का बाजार मूल्य 4,700/– रूपए तथा वृक्षों का मूल्य ₹1,91,500/– रूपये वर्णित किया गया था। तत्पश्चात, आवेदक ने अपनी भूमि पर विद्यमान 34 वृक्षों का कटाव कर उन्हें वन विभाग को विक्रय करने हेतु याचिकाकर्ता के समक्ष अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दंतेवाड़ा से रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के पश्चात दिनांक 24.07.1995 के आदेश द्वारा 15 सागौन के वृक्षों का कटाव कर उन्हें वन विभाग को विक्रय करने की अनुज्ञा अनुदत्त की। याचिकाकर्ता द्वारा अनुदत्त की गई अनुज्ञा के अनुसार, 15 सागौन के वृक्षों के मूल्य के रूप में आवेदक को 8,48,547/– रुपये की धनराशि संदत्त कि गयी ।

15. राजस्व मामला क्रमांक 154–A 63/1994–95 में आवेदक कमलेश कुमार ने 0.68 एकड़ भूमि 50,000/– रुपये के प्रतिफल पर इनके जनजातीय स्वामियों से दिनांक 02.03.1995 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की। आवेदक ने अपनी भूमि पर विद्यमान(खड़े) 12 सागौन के वृक्षों के कटाव हेतु याचिकाकर्ता के समक्ष अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने उक्त मामले की जाँच हेतु सम्बद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित किया। नायब तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से याचिकाकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और उक्त रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.07.1995 के आदेश द्वारा आवेदक को 12 सागौन के वृक्षों के कटाव की अनुज्ञा अनुदत्त की। याचिकाकर्ता के उक्त आदेश के अनुसरण में आवेदक को वन विभाग द्वारा उक्त वृक्षों के मूल्य के रूप में 4,08,851/– रुपये की धनराशि संदत्त की गई ।

16. राजस्व मामला क्रमांक 112–A 63/1989–90 में आवेदक मेरपेली शंकर उर्फ समैया ने दिनांक 24.07.1989 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से 1.57 एकड़ भूमि उसके जनजातीय स्वामी से क्रय की। तत्पश्चात, उसने अपनी भूमि पर विद्यमान(खड़े) वृक्षों का कटाव कर उन्हें वन विभाग को विक्रय करने हेतु उस समय के अपर कलेक्टर के समक्ष अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। अपने आवेदन में उसने वर्णित किया कि उक्त भूमि एक नदी के समीप स्थित है। क्षेत्र के तहसीलदार ने दिनांक 04.01.1995 को उक्त मामले में अनुज्ञा हेतु सिफारिश की। रिपोर्ट में अन्य तथ्यों के आलावा यह विवरणित किया गया कि उक्त भूमि के निकट कोई तालाब या नदी स्थित नहीं है, अ तः भूमि कटाव की कोई आशंका नहीं है। इस प्रकार कि, सम्बद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने इस आधार पर अनुज्ञा हेतु मामले की सिफारिश नहीं की कि विक्रय विलेख में यह वर्णित नहीं है कि जनजातीय स्वामी ने भूमि के साथ–साथ

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उस पर स्थित वृक्षों को भी विक्रय किया है। तत्कालीन अपर कलक्टर ने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी । सम्बद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने दिनांक 28.02.1992 एवं 30.09.1992 को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किए, और उक्त रिपोर्टों के आधार पर तत्कालीन अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा ने दिनांक 24.11.1992 के आदेश द्वारा आवेदक का आवेदन नामंजूर कर दिया। आवेदक ने आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे आयुक्त ने दिनांक 19.12.1994 के आदेश द्वारा मंजूर करते हुए मामले को पुनः अपर कलेक्टर के पास यह निर्देश देते हुए प्रतिप्रेषित किया कि वे यह सत्यापित करें कि क्या उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों का मूल्य जनजातीय स्वामियों को संदत्त किया गया है, और तत्पश्चात मामले को गुणगुण के आधार पर विनिश्चित करें। याचिकाकर्ता ने कुर्साम बुचैया, लक्ष्मैया एवं कुर्साम चंद्रैया के कथन अभिलिखित करने के पश्चात्, दिनांक 02.01.1996 के आदेश द्वारा आवेदक के 19 सागौन के वृक्षों का कटाव कर उन्हें वन विभाग को विक्रय करने हेतु अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन को मंजूर कर लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. राजस्व मामला क्रमांक 3/A-63/1989-90 में आवेदक दिगंबर सोनी ने 9,000/- रूपए के प्रतिफल पर 0.08 एकड़ भूमि इसके जनजातीय स्वामी अर्थात मोहनलाल कुर्मी से क्रय की। दिनांक 19.02.1987 को उसने अपनी भूमि पर विद्यमान(खड़े) 3 सागौन के वृक्षों के कटाव हेतु, 1959 की संहिता की धारा 241 के अंतर्गत, तत्कालीन अपर कलेक्टर के समक्ष अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। तत्कालीन अपर कलेक्टर ने सम्बद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से रिपोर्ट मांगी , और रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के पश्चात् आवेदक को 4 सागौन के वृक्ष एवं 1 बीजा वृक्ष के कटाव की अनुज्ञा अनुदत्त की।

18. याचिकाकर्ता के पक्ष में विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया विधिक निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त आदेश 1959 की संहिता के अंतर्गत एक राजस्व अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पारित किए हैं, और इस प्रकार 1959 की संहिता की धारा 31 के अनुसार उन्हें न्यायालय का दर्जा प्रदत्त किया गया है। वे आगे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता के द्वारा किया गया कार्य न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अधीन संरक्षित है, अतः उपरोक्त कृत्य के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती। 1985 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रगणित प्रावधान न्यायाधीशों को अतिरिक्त संरक्षण उपलब्ध करता है, और कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश है, कोई अनुध्यात या दांडिक अथवा सिविल कार्यवाही इस आधार पर प्रारंभ या जारी नहीं रख सकता कि उसने कोई

कार्य, कृत्य या कथन उस समय या अपने पद के आधिकारिक अथवा न्यायिक कर्तव्यों या कार्य करने के तत्पर्यिक या कार्यों के निर्वहन के अनुक्रम में किया हो अथवा करने का प्रयास किया हो। किन्तु इस प्रकार कि, 1985 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) यह स्पष्ट करती है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश हो, सिविल, दांडिक या विभागीय कार्यवाही करने से वर्जित नहीं है।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जुन्जर राव भिकाजी नागरकर बनाम भारत संघ एवं अन्य (1999)7 SC 409** में प्रदत्त निर्णय पर निर्भर होते हुए यह निवेदन किया है कि अस्पष्ट एवं अनिश्चित जानकारी अथवा मात्र संदेह के आधार पर विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती, जब तक कि यह अभिकथन न हो कि अधिकारी ने अपने पदीय कर्त्तव्य का निर्वहन अनुचित उद्देश्य अथवा बाहरी प्रतिफलों के लिए किया है, और ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध आरोप पत्र संधार्य नहीं है । यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी न्याययिककल्प प्राधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र को बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि आरोप में यह अभिकथन किया जाए कि न्याययिककल्प आदेश किसी बाहरी प्रतिफल के प्रभाव, जानबूझकर किया गया कृत्य हो या असद्भाव्पुर्वक किया गया था तथा अवचार गठित करने के लिए उपेक्षा मात्र असावधानी, गलती या लोप नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह आपराधिक उपेक्षा होनी चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि न्याययिककल्प प्राधिकारी को बदनामी से बचने के लिए संरक्षण की आवश्यकता है ।उन्होंने निवेदन किया कि यदि न्याययिककल्प कार्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों को निरंतर अनुशासनिक कार्यवाही की धमकी दी जाती है, तो वे बिना भय या पक्षपात के न्यायनिर्णयन करने में संकोच करेंगे , जिससे सम्पूर्ण प्रशासनिक न्यायनिर्णयन प्रणाली बदनामी की स्थिति में पहुँच जाएगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम के.के. धवन (AIR 1993 SC 56)** में अपने पूर्ववर्ती निर्णयों जैसे एस. गोविंद मेनन बनाम भारत संघ (AIR 1967 SC 1274) तथा भारत संघ बनाम ए.एन. सक्सेना [(1992) 3 SCC 124] की विवेचना करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अधिकारी के विरुद्ध केवल अस्पष्ट एवं अनिश्चित सूचना के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, और प्रत्येक विधिक त्रुटि को अवचार का आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा करना न्याययिककल्प अधिकारियों जैसे कि याचिकाकर्ता की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। न्याययिककल्प प्राधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र को बनाए रखने के लिए, , कुछ बाहरी प्रतिफल जो

न्याययिककल्प आदेश को प्रभावित करे, अभिकथित किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का सुसंगत प्रभाग निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जाता है :

28. निश्चिततः, इसलिए , जो अधिकारी न्यायिक अथवा न्याययिककल्प शक्तियों का प्रयोग करता है तथा उपेक्षापूर्वक या बिना सोचे विचारे अथवा किसी व्यक्ति को अनुचित अनुग्रह प्रदत्त करने हेतु कार्य करता है , वह न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर रहा है ।तदनुसार , उत्तरवादी की दलील अस्वीकार की जानी चाहिए । यह चित्त में रखना महत्त्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में , हम उत्तरवादी के विनिश्चय का ठीक होना अथवा वैधता से सम्बद्ध नहीं हैं , बल्कि अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उत्तरवादी के आचरण से सम्बद्ध हैं। आदेशों की वैधता को नौ निर्धारणों के संदर्भ में अधिनियम के अंतर्गत अपील या पुनरीक्षण में प्रश्नगत किया जा सकता है ।लेकिन हमारे चित्त में कोई संदेह नहीं है कि सरकार को आचरण नियमों के अतिक्रमण के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करने से निवारित नहीं किया गया है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुशासनिक कार्यवाही निम्नलिखित मामलों में की जा सकती है :

(i) जहाँ अधिकारी ने इस प्रकार से कार्य किया हो, जो उसकी ईमानदारी , सद्भावना या कर्तव्य के प्रति समर्पण पर प्रभाव डाले ।

(ii) यदि प्राथमिक दृष्टया सामग्री उपलब्ध हो जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या अवचार को प्रदर्शित करती हो ।

(iii) यदि उसने ऐसे आचरण किया है जो एक शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय है ।

(iv) यदि उसने उपेक्षापूर्वक कार्य किया हो, या उसने विहित शर्तों को छोड़ दिया, जो क़ानूनी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक थीं ।

(v) यदि उसने किसी पक्ष को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाने के लिए कार्य किया हो ।

(vi) यदि वह भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य किया हो , भले ही रिश्वत कितनी ही छोटी क्यों न हो, क्योंकि लॉर्ड कोक ने बहुत पहले कहा था, "यद्यपि रिश्वत छोटी हो, फिर भी दोष बड़ा होता है"।

29. ऊपर सूचीबद्ध उदाहरण सीमित नहीं हैं इस प्रकार कि हम यह जोड़ सकते हैं कि केवल तकनीकी कारणों से या केवल इसलिए कि आदेश तुटिपूर्ण है और कार्यवाही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त उदाहरणों के अंतर्गत नहीं आता है, अनुशासनिक कार्यवाही न्ययोचित्त नहीं है ।यहाँ , हम एक चेतावनी व्यक्त करना चाहेंगे । प्रत्येक मामला तथ्यों पर निर्भर करेगा और कोई भी नियम अनम्य सूत्र नहीं माना जा सकता ।

21. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, किशननाथ रॉय बनाम बिहार राज्य, (1996) 4 SCC 539 में प्रकाशित है, पर निर्भर होकर निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त राजस्व मामलों में आदेश 1956 के अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पारित किए हैं, जो कि तथाकथित अधिनियम के अंतर्गत तथा 1959 की संहिता के अंतर्गत अपील योग्य हैं। इस प्रकार कि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, राज्य ने उपर्युक्त राजस्व मामलों में याचिकाकर्ता द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। वह आगे निवेदन करते हैं कि यदि राज्य को याचिकाकर्ता द्वारा पारित आदेशों में कोई असहनीय गलती का पता चलता है , तो उसे अपील प्राधिकारी के माध्यम से सुधारा जा सकता था और ऐसी गलती के आधार पर विभागीय जांच आरंभ नहीं की जा सकती ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. आवेदक कि ओर से विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ***भारत संघ बनाम जे. अहमद,*** [(1979) 2 SCC 286] पर आश्रित रहते हुए यह निवेदन किया कि आरोप पत्र में याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह कोई अभिकथन नहीं है कि आदेश किसी बाहरी प्रतिफल या अन्तरस्थ हेतु पारित किए गए हैं, और जब तक इस प्रकार का कोई अभिकथन नहीं होता, तब तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाया गया अभिकथन अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, **1954** के सदर्भ में अवचार की श्रेणी में नियत नहीं होता है ।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभिकथन यह है कि जब वह अतिरिक्त कलेक्टर, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्त थे, उस समय उन्होंने लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कुछ निजी व्यक्तियों के साथ दुरभिसंधि कर, आरोप संख्या 1 में वर्णित अनुसार, उपर्युक्त राजस्व प्रकरणों में आदेश पारित किए और इस प्रकार, उन मामलों के आवेदकों को वृक्षों की कटाव की अनुज्ञा अनुदत्त की , जिनका मूल्य 5000/– रुपये से अधिक था, जैसा कि 1956 के अधिनियम की धारा 3 में वर्णित है। द्वितीयतः, याचिकाकर्ता ने आदेश पारित किए उन राजस्व मामलो में, जैसा कि आरोप संख्या 2 में वर्णित है, और इस प्रकार अनुज्ञा अनुदत्त की वृक्षों की कटाव के लिए, उन परिस्थितियों में जहाँ उन्होंने 1959 की संहिता की धारा 240 एवं 241 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों की उपेक्षा की ।

1956 के अधिनियम की धारा 3(1) और 3(3) को सुलय संदर्भ हेतु नीचे उत्कथित किया गया है :

3.1 —— कोई भी संविदा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद किसी भू–घृतिधारक द्वारा जो आदिवासी जनजाति से संबंधित है, अपने होल्डिंग (भू–स्वामित्व) में विनिर्दिष्ट वृक्षों के लिए किया गया हो, उतनी सीमा तक विधिमान्य नहीं होगा जितना वह विनिर्दिष्ट वृक्षों से संबंधित हो, जब तक कि कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुज्ञा प्राप्त न की गई हो।

3.1A – कोई भी भू–घृतिधारक जो आदिवासी जनजाति से संबंधित है, यदि वह उपधारा (1) के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ऐसे प्रपत्र में जैसा कि नियमानुसार निर्धारित किया गया हो कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3.3 जब अनुज्ञा उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदान की जाती है, तो विनिर्दिष्ट वृक्षों के कटाव, परिवहन और विक्रय ऐसे वन विभाग के अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो सरकार द्वारा नियुक्त हो, और इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि नियमानुसार निर्धारित किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. जैसा कि पूर्वगामी अनुच्छेदों में विस्तारपूर्वक बताया गया है, उन परिस्थितियों से जिनमें राजस्व मामलों में आरोप संख्या 1 में वर्णित आवेदनों पर याचिकाकर्ता द्वारा आदेश पारित किए गए हैं,यह उपदर्शित होता है कि आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता ने 1956 के अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों पर विचार नहीं किया, क्योंकि सभी मामलों में वह भूमि जिस पर वृक्ष स्थित थे, मूल रूप से अन्य जनजातीय स्वामियों की थी, और वही भूमि उपरोक्त राजस्व मामलों के आवेदकों द्वारा, उन वृक्षों को कटाव की मंजूरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले क्रय की गई थी। आवेदकों द्वारा मूल स्वामियों को संदत्त किए गए प्रतिफल की पर्याप्तता के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। कुछ मामलों में वृक्षों में रुचि मूल स्वामियों द्वारा आवेदकों को राजस्व मामलों के लंबित रहने के दौरान अंतरित की गई थी, लेकिन तब भी मूल स्वामियों को संदत्त किए गए प्रतिफल के संबंध में कोई जांच आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई।

23. इस प्रकार इस प्रक्रम में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त वर्णित राजस्व मामलों में आदेश सद्भावपूर्वक एवं अपने सर्वोत्तम न्यायिक विवेकानुसार न्याययिककल्प शक्तियों

का प्रयोग करते हुए पारित किए हैं। यह तथ्य कि धारा 3 के उपबंधों की अनदेखी करते हुए अनेक आदेश पारित किए गए हैं विभागीय जांच को उचित ठहराता है। अभिलिखित आरोपपत्र के साथ अभिलेख पर व्यापक सामग्री उपलब्ध है जो स्पष्ट रूप से निदर्शन करती है कि आरोप संख्या 2 में निर्दिष्ट सभी राजस्व मामलों में संहिता 1959 की धारा 240 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध की अनभिज्ञता करते हुए आदेश पारित किए गए हैं। कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता द्वारा बाहरी प्रतिफलों से या अंतरस्थ हेतु या बिना सोचे विचारे या उपेक्षापूर्वक या सद्भावपूर्वक पारित किए गए हैं यह विभागीय जांच में निर्णीत किया जा सकता है ना कि इस रिट याचिका में।

24. इस प्रकार पूर्वगामी विश्लेषणात्मक चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह याचिका किसी बलयुक्त तर्क पर आधारित नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है । इस प्रकार कि यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को विभागीय जांच में अपना सम्पूर्ण प्रतिरक्षा पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी जो कि अपने गुणागुण के आधार पर विचारार्थ लिया जाएगा बिना इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/–
मुख्य न्यायाधिपति

हस्ताक्षरित/–
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Ashutosh Dwivedi